



## सूचना/Notice

दिनांक-30.03.2024

बालवाटिका- 3 में प्रवेश पंजीकरण ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। कक्षा प्रथम में प्रवेश पंजीकरण ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। पंजीकरण 01.04.2024 (सोमवार) को सुबह 10:00 बजे शुरू होगा और 15.04.2024 (सोमवार) को शाम 05:00 बजे बंद हो जाएगा। बालवाटिका-3 एवं कक्षा प्रथम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु की गणना 31.03.2024 के अनुसार होगी (1 अप्रैल को जन्म लेने वाला बच्चा भी मान्य होगा)

Balvatika-3 admissions will be done through offline mode. Class I admissions will be done through online mode. Registration will commence at 10:00 am on 01.04.2024 (Monday) and will close at 05:00 pm on 15.04.2024 (Monday). The minimum age for admission in Balvatika-3 and Class I will be calculated as of 31.03.2024 (children born on April 1 will also be valid)

### आवश्यक दस्तावेज/Necessary documents :

1. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ /passport size photograph
2. जन्म प्रमाण-पत्र/ Birth Certificate
2. माता/पिता का सेवा कालीन प्रमाण पत्र सम्बंधित कार्यालय के प्रमुख द्वारा जारी ( यदि लागू हो )/ Service certificate of mother/father issued by the head of the concerned office (if applicable)
3. बच्चे का जाति-प्रमाण पत्र ( यदि लागू हो )/ Caste certificate of the child (if applicable)
6. मूल निवास दस्तावेज/residence proof document
7. रक्त समूह की जाँच जिसमें रक्त समूह दर्शाया गया हो/ Blood group test showing blood group.
8. आधार कार्ड/ Aadhaar Card
9. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) / Disability Certificate (if applicable)
10. अन्य/ Other

### नोट/Note:-

1. पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा।/ No case will be considered after the last date of registration.
2. सभी प्रकार से पूर्ण पंजीकरण फॉर्म और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ केवीएस की अधिसूचना के अनुसार निर्धारित तिथि के भीतर संबंधित विद्यालय को जमा/भेजना होगा।/ Registration forms complete in all respects and accompanied by all required documents must be submitted/sent to the Vidyalaya concerned within the prescribed date as per notification of the KVS.
3. पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ निर्धारित दस्तावेज की सत्यापित प्रतियाँ जमा करना आवश्यक होगा।/ Attested copies of the prescribed documents would be required to be submitted along with the application form for registration.
4. सभी आवेदकों को निवास का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। पते का प्रमाण वही होगा जो पंजीकरण फॉर्म में भरा गया था। आरटीई प्रवेश के लिए स्थानों और क्षेत्रों का दायरा 8 किमी होना चाहिए।/ Proof of residence shall have to be produced by all applicants. Address proof will be same as filled in registration form. For RTE admission Places and areas must be 8 km in Radius.
5. किसी भी गलत प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त प्रवेश को प्राचार्य द्वारा तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और प्राचार्य की ऐसी कार्रवाई के खिलाफ कोई अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।/ Admission secured on the basis of any wrong certificate shall be cancelled by the Principal forthwith and no appeal against such action of the Principal shall be entertained.

30/3/24  
प्राचार्य/Principal  
प्राचार्य / Principal  
के.वि. / K.V  
ज्योतिपुरम / Jyotipuram